## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 531-दो/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-11-91 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 1/सीलिंग/87-88.

---

1- रम्बाबाई पत्नी स्व. करणसिंह
2- हरि सिंह आत्मज स्व. करणसिंह
3- होतम सिंह आत्मज स्व. करणसिंह
4- ज्ञान सिंह आत्मज स्व. पर्वतसिंह

निवासीगण ग्राम खजूरी सड़क
तहसील हुजूर जिला भोपाल ..... अपीलार्थीगण

**विरूद्ध**

1- म.प्र. शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी म.प्र. सीलिंग एक्ट
2- अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल
3- सेठ मानकचंद आत्मज स्व. जुम्मालाल (मृत) द्वारा वारिसान-
   1- श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी स्व. मानकचंद
   2- श्रीमती पूनम पत्नी स्व. विनोद कुमार
   3- कपिल अग्रवाल पुत्र स्व. विनोद कुमार
   4- विनय कुमार पुत्र स्व. मानकचंद
   5- विवेक आत्मज स्व. मानकचंद
   6- श्रीमती विभा पुत्री स्व. मानकचंद
   7- विनीता पुत्री स्व. मानकचंद

   निवासीगण म.नं. 87, चरखा लाईन
   बड़ा बाजार, सीहोर ..... प्रत्यर्थीगण

---

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता, श्री के0 के0 द्विवेदी ।
प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा ।

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 13/3/19 को पारित )

---

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 ( जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा ) की धारा 41 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-11-91 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/सीलिंग/87-88 में दिनांक 19-11-91 को आदेश पारित कर धारक माणकचन्द पिता जुम्मालाल की कुल भूमि 355.18 एकड़ पाते हुए धारक को 72 एकड़ भूमि धारण करने की पात्रता निर्धारित कर शेष 283.18 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की जाकर अंतिम विवरणी प्रसारित किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी । राजस्व मण्डल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 531-दो/03 में दिनांक 17-4-2007 को आदेश पारित कर अपील समयावधि बाह्य होने से खारिज की गई । राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 11877/2007 प्रस्तुत की गई । उक्त रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-4-2017 को निर्णय पारित करते यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है, उक्त आधार पर राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पालन में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक तथा लिखित तर्कों में

मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) अपीलार्थीगण के पूर्वज दरयाबसिंह एवं मूलचंद्र धारक मानिकचंद के शिकमी काश्तकार थे उनका नाम राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1960 से दर्ज रहा । वर्ष 1964 में अपीलार्थीगण के पूर्वज मूलचन्द्र बल्द दरयाबसिंह द्वारा विवादित भूमि खसरा नं0 241/2 रकबा 12.25 एकड एवं खसरा क्रमांक 406, 407, 409/2/2 रकबा 0.80 एकड एवं खसरा क्रंमाक 408/1 रकबा 2.24 एकड कुल रकबा 15.29 एकड भूमि को वैधानिक स्वामी मानिकचंद से जड खरीद क्रय किया गया था, जिसकी प्रविष्टि खसरों में है । भूमि क्रय करने के उपरांत अपीलार्थीगण के पूर्वज मूलचन्द्र बल्द दरयाबसिंह का नाम ग्राम पिपलिया धाकड की नामांतरण पंजी क्रमांक 2 पर दिनांक 5-7-1964 को किया गया था । तब से लेकर अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये जाने तक अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी मूलचन्द्र एवं बाद में अपीलार्थीगण का नाम निरंतर दर्ज चला आ रहा था । अपीलार्थीगण के पूर्वज सीलिंग अधिनियम लागू होने के दिनांक 1-1-71 के पूर्व ही विवादित भूमि क्रय कर चुके थे अत: अधिनियम के प्रावधान उनके द्वारा धारित विवादित भूमि पर लागू नहीं होते ।

(2) यह तर्क दिया गया कि वर्ष 1960 से अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं उनके उपरांत अपीलार्थीगण आज वर्तमान तक अपनी उक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर कृषि कार्य निरंतर करते चले आ रहे हैं । इसी बात को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा वर्ष 1988-89 में उक्त कृषि भूमि का बंटवारा अपीलार्थी क्रमांक 1 लगायत 3 एवं चाचा मूलचन्द्र (सहखातेदार) के मध्य विधिवत कार्यवाही करते हुए किया गया था जिसके द्वारा विवादित भूमि खसरा नं0 241/2 रकबा 12.25 एकड एवं खसरा क्रमांक 406, 407, 409/2/2 रकबा 0.80 एकड अपीलार्थी क्रमांक 1 लगायत 3 को तथा खसरा क्रमांक 408/1 रकबा 2.24 एकड अपीलार्थी क्रमांक 4 को प्राप्त हुई । जिनकी ऋण पुस्तिकायें राजस्व अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को जारी की गईं थी । अपीलार्थीगण उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर वर्ष 1960 से लगान अदा करते चले आ रहे हैं ।

(3) संशोधित पंजी दिनांक 5-7-1964 द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमियों के अतिरिक्त खसरा नं0 405 रकबा 2.43 एकड भूमि भी अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज की गई थी । अपीलार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय मूलचन्द्र एवं स्वर्गीय करनसिंह द्वारा उपरोक्त वर्णित शामलाती खाते की जमीन खसरा नं0 405 रकबा 2.43 एकड वर्ष 1970 में क्रेता अचलसिंह एवं पर्वतसिंह को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक 23-6-70 बिक्री की गई थी, जिसको राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 2665-दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 10-02-03 द्वारा वैध माना गया एवं आलोच्य आदेश द्वारा अतिशेष घोषित की गई भूमि में से विमुक्त किए जाने के आदेश दिये गये हैं । उक्त प्रकरण के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य एक समान हैं इस कारण आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(4) उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रकरण क्रमांक 99/अ-90/बी-3/63-64 शासन विरूद्ध मानकचन्द्र एवं जुम्मालाल में आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी, भोपाल ने दिनांक 6-4-68 को आदेश पारित करते हुए उल्लेख किया है कि ग्राम पिपलिया धाकड की 180.25 एकड भूमि रघुनाथसिंह बगैरा को 15 साल से दे रखे हैं, जिस पर वे काबिज हैं इस तथ्य को तहसीलदार ने प्रमाणित किया है रघुनाथसिंह बगैरा में अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वज शामिल हैं तथा ग्राम पिपलिया धाकड की 180.25 एकड भूमि में विवादित भूमि भी शामिल है । यह भी कहा गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 10-2-69 के आदेश द्वारा मानकचंद की 184.45 एकड जमीन का फायनल स्टेटमेंट जारी किया गया था इनमें अपीलांट के खसरा नंबरों की विवादित भूमि शामिल नहीं थी ।

(5) अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वज को भूमि स्वामित्व अधिकार संहिता के अनुसार प्राप्त था तथा उनका भूमिस्वामी का अधिकार इस कारण से समाप्त नहीं किया जा सकता कि उनका नाम खसरा के कॉलम नं. 2 में बतौर भूमिस्वामी दर्ज नहीं था, जबकि नामांतरण केवल प्रक्रिया विषयक मामला है । इस तर्क के समर्थन में 1978 आर.एन. 23 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(6) अधिनियम की धारा 4 (1) में इस बात का वर्णन है कि संबंधित अधिकारी सीलिंग प्रक्रिया स्थापित होने से पूर्व इस बात की जानकारी होते हुए भी कि उपरोक्त जमीन अपीलार्थीगण के पूर्वज के नाम से जड़ खरीद के रूप में वर्ष 1960 के पूर्व से कॉलम नं. 12 में दर्ज चला आ रहा है तथा बाद में वर्ष 1964 में भूमि क्रय किये जाने के कारण दिनांक 5-7-1964 को नामांतरण किया गया था । अतः अपीलार्थीगण सीलिंग प्रक्रिया में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सीलिंग प्रक्रिया में हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी न तो पक्षकार बनाया गया और न ही अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार कोई जांच की गई । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

(7) अपीलार्थीगण की जमीन का कुल रकबा 15.29 एकड़ है, जो कि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार सिंचित भूमि रकबा 18 एवं असिंचित भूमि रकबा 27 एकड़ से कम है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान न देते हुए कि अपीलार्थीगण की जमीन को मानकचन्द की जमीन मानकर विधिक प्रक्रिया का बिना पालन किये, अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का विधिवत अवसर दिये बिना अतिशेष घोषित किया गया है, जो अवैधानिक है । इस तर्क के समर्थन में 1978 आर.एन. 354 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(8) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि को अतिशेष घोषित करने के पूर्व अधिनियम की धारा 4 (1) के सिद्धान्तों के अधीन सीलिंग प्रकरण के निराकरण के लिए तीन सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है :-

1. धारक और क्रेता को सूचना देनी चाहिए ।
2. यह विनिश्चित करना चाहिए कि क्या अंतरण दिनांक 01-01-1971 तथा 07-03-1974 के बीच हुए हैं ।
3. यह देखना चाहिए कि क्या अंतरण से अतिरिक्त घोषित की गई भूमि में कमी होती है ।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उनका आदेश अवैध एवं शून्य है । इस तर्क के समर्थन में 1988 आर.एन. 328 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(9) अपीलार्थी क्रमांक 2 एवं 3 के पिता तथा अपीलार्थी क्रमांक 1 के पति करनसिंह की मृत्यु वर्ष 1977 में हुई, जब अपीलार्थी क्रमांक 2 हरीसिंह की आयु मात्र 2 वर्ष एवं अपीलार्थी क्रमांक 3 होतमसिंह की आयु मात्र 16 दिन थी, जबकि अपीलार्थी क्रमांक 1 अनपढ़ महिला है । उपरोक्त बातों के होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई भी सूचना विधि सम्मत अपीलार्थीगण को नहीं टी गई है न ही कोई ड्राफ्ट स्टेटमेन्ट विधिवत तामील कराया गया है और उनकी भूमि को मानकचन्द की मानकर अतिशेष घोषित किये जाने में विधिक भूल की गई है ।

(10) सीलिंग प्रकरण में भूमि धारक मानकचन्द द्वारा जवाब दावा में स्पष्ट रूप से कहा था कि कतिपय भूमि अन्य 13 व्यक्तियों को पूर्व में ही बेची जा चुकी है और उक्त भूमि उसके आधिपत्य में नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार बिना कोई जाचं किये अपीलार्थीगण की भूमि को धारक मानकचन्द की भूमि मानकर अतिशेष घोषित किया गया है, जो कि विधि एवं नियम के अनुकूल नहीं है ।

(11) प्रश्नाधीन भूमि के अपीलार्थीगण एकमात्र भूमिस्वामी हैं और इसके अलावा उनके पास कोई भी कृषि योग्य सिंचित एवं असिंचित भूमि नहीं है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को पूर्णतः विधि विरूद्ध एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध बताते हुए निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करना थीं । अपर आयुक्त ने प्रकरण के समस्त पहलुओं पर विचार कर आदेश

पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अपीलार्थीगण की अपील निरस्त की जाये ।

5/ प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के वारिसान एकपक्षीय हैं ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख में संलग्न राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी गण के पूर्वज दरयाब सिंह एवं मूलचन्द्र का नाम नाम प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1960 से वर्ष 1964 तक शिकमी काश्तकार के रूप में अंकित रहा तथा वर्ष 1964 में उक्त भूमियां क्रय करने के कारण नामांतरण पंजी क्रमांक 2 दिनांक 5-7-1964 द्वारा उनका नामांतरण किया गया । वर्ष 1988 तक उक्त भूमियों पर मूलचंद्र का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रहा एवं मूलचन्द्र एवं अपीलार्थीगण के मध्य वर्ष1988में बटवारा होने के कारण अपीलार्थीगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया गया । उनके द्वारा भू-राजस्व जमा किया जाता रहा है, परंतु सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें कार्यवाही के दौरान विधिवत कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही उन पर किसी सूचनापत्र का विधिवत निर्वहन हुआ है, इसकी पुष्टि अभिलेख से होती है । अधिनियम की धारा 11 (3) एवं 11 (6) के तहत प्रारूप अंतिम विवरणी का उन पर निर्वहन कराया गया है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त हितधारी व्यक्तियों को सूचना देना तथा उन पर प्रारूप एवं अंतिम विवरणी का निर्वहन कराया जाना अनिवार्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही न्यायसंगत एवं विधिसम्मत नहीं ठहराई जा सकती है । अभिलेख में ग्राम पिपलिया धाकड की नामांतरण पंजी वर्ष 1965-66 की प्रति भी संलग्न है जिसमें अनुसार नामांतरण पंजी के क्रमांक 2 पर दिनांक 5-7-1964 के द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वज मूलचन्द वल्द दरयाबसिंह का नाम ऊपर उल्लिखित विवादित भूमियों पर दर्ज किया गया है । पंजी में भूमि के अर्जन का स्वरूप ( जड खरीद 300/- रूपये कब्जा 64-65 के आधार पर कमिश्नर द्वारा फैसला किया गया फैसला नं0 99-अ-90 के आधार पर किया जाना ) दर्शाया गया है । इस प्रकार इस प्रकरण में यह मानने के पर्याप्त

आधार हैं कि विवादित भूमि का अंतरण धारक द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम 1964-65 में ही किया जा चुका था और चूंकि उक्त भूमि सीलिंग अधिनियम लागू होने के दिनांक 1-1-71 के पूर्व ही अपीलार्थीगण के नाम दर्ज हो चुकी थी । ऐसी स्थिति में उक्त भूमि को धारक की भूमि में शामिल नहीं किया जा सकता था । अपर आयुक्त द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व इस ओर ध्यान न देकर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । न्यायदृष्टांत 1989आर0एन0 342 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सीलिंग अधिनियम की धारा 4 (3) की व्याप्ति 1-1-71 के पूर्व अंतरण ऐसी अंतरित भूमि धारक की भूमि में शामिल नहीं की जा सकती । न्यायदृष्टांत 1977 आर0एन0 188 एवं 275 में यह व्यवस्था दी गई है कि दिनांक 1-1-71 के पहले के अंतरण धारा 4(1) के अधीन अवैध घोषित नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1977 आर0एन0 24 में यह व्यवस्था दी गई है कि विक्रय दिनांक 1-1-71 के पूर्व हुआ परंतु नामांतरण उस दिनांक के बाद हुआ, विक्रय अवैध घोषित नहीं किया जा सकता ।

7/ अपीलार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष राजस्व मंडल के तत्कालीन विद्वान सदस्य द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील 2665-दो/2002 ( पर्वतसिंह आदि विरूद्ध शासन आदि ) में पारित आदेश दिनांक 10-02-2003 की प्रति पेश की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त अपील भी इस प्रकरण में विवादित, अपर आयुक्त के आलोच्य आदेश के विरूद्ध ही पेश की गई थी । उक्त प्रकरण में अन्य भूमि के अतिरिक्त संशोधित पंजी दिनांक 5-7-1964 द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज की गई अन्य भूमि खसरा नं0 405 रकबा 2.43 एकड जिसका विक्रय अपीलार्थीगण के पूर्वज स्वर्गीय मूलचन्द्र एवं स्वर्गीय करनसिंह द्वारा क्रेता अचलसिंह एवं पर्वतसिंह को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा 23-6-70 को किया गया था, को भी अपर आयुक्त द्वारा अतिशेष घोषित किया गया था, जिसको विद्वान सदस्य द्वारा त्रुटिपूर्ण मानते हुए अपर आयुक्त द्वारा अतिशेष घोषित की गई भूमि में से कम किए जाने के आदेश दिये गये हैं । और उस सीमा तक अपर आयुक्त का आदेश संशोधित किया गया है । उक्त

प्रकरण के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य एक समान होने से उक्त निर्णय इस प्रकरण में पूर्णत: लागू होता है । उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जहां तक अपीलार्थीगण के स्वामित्व की विवादित भूमियों का प्रश्न है, उक्त भूमियों को धारक की भूमि मानकर उसे अतिशेष घोषित करने संबंधी अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रं0 1/सीलिंग/87-88 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19-11-1991 द्वारा अतिशेष घोषित की गई भूमि में से अपीलार्थीगण के स्वामित्व की ग्राम पिपलिया धाकड स्थित विवादित भूमि खसरा नं0 241/2 रकबा 12.25 एकड, खसरा नं0 406, 407, 409/2/2 रकबा 0.80 एकड एवं खसरा नं0 408/1 रकबा 2.24 एकड को कम करने के आदेश दिये जाते हैं और उस सीमा तक अपर आयुक्त का आदेश संशोधित किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी क्रमांक 1 लगायत 3 का नाम भूमि खसरा नं0 241/2 रकबा 12.25 एकड एवं खसरा नं0 406, 407, 409/2/2 रकबा 0.80 एकड पर तथा अपीलार्थी क्रमांक 4 का नाम खसरा नं0 408/1 रकबा 2.24 एकड पर पूर्ववत भूमिस्वामी के रूप में अंकित किया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर